विदेशियों को केवल उस समय नजरबन्द किया जायेगा जब ऐसा करना भारत की सुरक्षा के लिये आवश्यक होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

नेफा तथा भूटान की स्थिति के बारे में व्यक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री को ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में नहीं प्रत्युक्त स्वतंत्र रूप में वक्तव्य देना है । उन के वक्तव्य के बाद में उक्त सूचना को लूंगा ।

†**प्रधान मंत्री वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा और अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय मुझे सभा को अत्यन्त दुखजनक समाचार देना है कि वेलोंग और सेला दोनों स्थानों पर शत्रु ने कब्जा कर लिया है । चुशूल में लड़ाई हो रही है ।

वलोंग में १५।१६ की रात के दो ओर से आक्रमण किया था । १ की प्रातः तक लड़ाई होती रही । शत्रु हवाई पट्टी पर गोले बरसाने में सफल हो गया और वही केवल संभरण का अड्डा था १७ की शाम को हमारी सेना पीछ प्रतिरक्षा की स्थिति में अपने के लिये लौटने लगी ।

जांग के क्षेत्र में शत्रु के १७ नवम्बर को हमारी चौकी पर आक्रमण किया । बाद में बड़ा हमला हुआ और यह चौकी छोड़नी पड़ी । हमारी सेना सेला की मुख्य चौकी पर आ जमी । इस बीच में शत्रु की सेना सेला बोमडिला के बीच हमारी सेना का पथ काट कर निकल गई । उन्होंने १८ की प्रातः को हमला किया और सेला तथा बोम डिला के बीच सड़क काट दी । इन को खदेड़ दिया गया, किन्तु उन्होंने पुनः, एकत्र हो कर आक्रमण किया । स्थिति कुछ उलझन पूर्ण है । लड़ाई जारी है किन्तु हमारे कम्मान्डर को सेला से लौटना पड़ा है ।

चुशूल की हवाई पट्टी पर भारी तोपों का आक्रमण किया गया । हमारी रेजांग तक की चौकी पर १८ की सुबह को हमला किया गया । सख्त लड़ाई के बाद चौकी पर शत्रु का कब्जा हो गया । चुशूल के छै मील उत्तर में एक और चौकी पर भी आक्रमण किया गया है ।

चुशूल के क्षेत्र के अन्य हमलों को खदेड़ दिया गया था ।

यह बुरी खबर । मैं इस के विस्तार में नहीं जाना चाहता । हारों के बावजूद हम किसी भी तरह झुकने के लिये तैयार नहीं हैं और लड़ाई भले कितनी लम्बी हम लड़ेंगें और दुश्मन को देश से निकाल देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जंग की हार और चुशल की नाजुक स्थिति के बारे में सूचनायें प्राप्त हुई है अतः क्या प्रधान मंत्री उन के बारे कुछ और कहेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : मैं जांग और चुशूल के बारे में कह चुका हूं । अधिक नहीं कहना चाहता ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** (होशंगाबाद) : सभा को विपत्तिपूर्ण हारों के बारे में दुख है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या मित्र राष्ट्रों से अधिकाधिक शस्त्रास्त्र लेने के लिये कठोर प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सभा को विदित है कि विदेशों से शस्त्रास्त्र और अन्य वस्तुयें मंगाने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है और हमें कुछ सामान मिल भी गया है जो चौकियों पर भेज दिया गया है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : क्या शस्त्रास्त्र प्राप्त करने के लिये कोई योजना है ताकि पाकिस्तान और चीन के इस समझौते से उत्पन्न स्थिति का मुकबला किया जा सके जिसके अनुसार चीन पाकिस्तान को काश्मीर पश्चिमी बंगाल और असम प्राप्त करने में सहायता देगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न संगत नहीं ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : हमारा जवान मर रहा है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर नहीं दिया जा सकता । माननीय सदस्य बैठ जायें ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : हमें बताया गया था कि १२.३० पर वक्तव्य दिया जायेगा

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के बाद वकफा था, इस लिये मैं ने समझा के अब इसे ले लिया जाये ।

श्री बागड़ी (हिसार) : मेरा नाम तो इस में है ।

अध्यक्ष महोदद : आप का नाम है और आप सवाल कर सकते हैं ।

श्री बागड़ी : प्रधान मंत्री जी ने जो स्टेट्मेंट दिया उसमें यह तो बतलाया गया कि हमने फौजें पीछे हटा ली हैं । मैं जानना चाहूंगा कि वालोंग की आबादी का क्या हुआ, क्या उसको भी पीछे हटा लिया गया है या उसको चीनियों के हवाले कर दिया गया है । इस पर रोशनी डाली जाये ।

अध्यक्ष महोदय : हवाले करने का तो सवाल पैदा नहीं होता, पर यह सवाल ठीक है, आबादी को पीछे हटाया गया या नहीं ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : इसका जवाब मैं इस वक्त नहीं दे सकता क्यों कि पूरी इत्तला मेरे पास नहीं है । . . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति उन्होंने एक प्रश्न पूछा है और प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन के पास यह जानकारी नहीं है और जब भी यह मिले, यह सदन को दी जायेगी . . .
(**अन्तर्बाधा**)

श्री राम सेवक यादव : यह देश की सुरक्षा और आजादी का प्रश्न है . . .

श्री प्रिय गुप्त : इसका जवाब देना चाहिये . . .

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल मैं एलाऊ कर रहा हूं । लेकिन अगर चार चार आदमी एक साथ सवाल करेंगे तो जवाब कैसे दिया जा सकता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : वालांग और जंग और सेला पास के गिर जाने से एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है और चीनी आसाम की ओर बढ़े चले आ रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

पूरी लड़ाई करेगी, मित्र देशों से सहायता ले कर या युद्ध विराम के आधार पर शान्ति के लिये हर कीमत पर संधि करेगी ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैं ने स्वयं कहा है कि स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है । हमारी सशस्त्र सेनायें मुकाबला करने के लिये जो कुछ भी संभव हुआ करेगी । मैं केवल इतना कह सकता हूं मैं विस्तार में नहीं जा सकता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अब आसाम को शत्रु से बहुत खतरा पैदा हो गया है । चीनियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : हमें इन घटनाओं पर बहुत चिन्ता है और मैं समझ सकता हूं कि आसाम के सदस्यों को अधिक चिन्ता है । हमें इस संकट का मुकाबला करने के लिये हर संभव कदम उठाने चाहियें और मित्र देशों से हर संभव सहायता लेनी चाहिये । इस पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर): हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री इस बात पर और प्रकाश डालें कि उनका क्या पग उठाने का विचार है पहले इस बात के लिये कि सदन को सुचित रक्खा जाये और प्रतिरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक सत्र का सम्बन्ध है, मैं ने श्री कामत को सलाह दी थी कि वह इस प्रश्न को सत्र की समाप्ति के कुछ पहले उठा लें । उस समय टक हमें यह भी मालूम हो जायेगा कि सरकार का इरादा क्या है और संसद् कब और कितनी जल्दी समवेत की जायेगी । जिन सदस्यों को अधिक चिन्ता है--चिन्ता सब को है--वे प्रधान मंत्री से मिलकर निर्णय कर सकते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा सुझाव है कि युद्ध स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री प्रतिदिन एक वक्तव्य दिया करें । मेरे विचार में इस में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री रंगा** : तीन दिन पहले समाचारपत्रों में समाचार दे दिया गया था कि वालांग आदि गिर चुके हैं किन्तु सदन को आज बताया गया है । क्या सदन को समय पर बताया जाना सम्भव नहीं है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : वालांग परसों किसी समय गिरा था और हमारी जानकारी में सेला कल शाम को गिरा था । सदन की बैठकें शनिवार और रविवार को नहीं हुई और मैंने शीघ्र से शीघ्र सदन को बताया है ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपना सवाल पूछ लिया है । इस वक्त और कोई इन्फ़र्मेशन नहीं है ।

श्री बागड़ी : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस से ज्यादा ज़रूरी और अहम बात देश के सामने कोई नहीं है । इसी के वास्ते इमर्जेन्सी हालात में लोक सभा का इजलास रखा गया था । आज सारा देश इस बारे में उठा हुआ है । जब हम आगे की बात कह कर पीछे जाते हैं, तो देश की मानसिक वृत्ति को ठेस लगती है इस का यह हल है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लोक सभा को साफ़ तरीके से अपना मन बना कर, अपना रास्ता बना कर चलना पड़ेगा । उस के लिए आप बहस के लिए एक और दिन रखें । जो नीति सरकार ने पहले सोची थी, वह नीति

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

फ़ेल हो चुकी है । जो बात हम ने कही थी, वह ग़लत हो चुकी है । जो विश्वास हम ने देश के सामने रखा था, वह पीछे जा चुका है । इसलिए यह ज़रूरी हैं कि दोबारा इस बारे में बहस की जाये और नये सजेस्टियनज़ देश के साम ने रखे जायें, ताकि देश उठे और उस में कमज़ोरी न आये ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ।

विदेशियों सम्बन्धी विधि (लागू करना तथा संशोधन) विधेयक

†**श्री हरिविष्णु कामत (होशंगा बाद)** : सदन मंत्री महोदय से सहमत है कि इस आपात काल में कार्यपालिका को ऐसी शक्तियां दी जायें, जिन का प्रयोग करके उन विदेशियों और अन्य व्यक्तियों से निपटा जा सके, जिन से शान्ति भंग होने का डर हो । मैं विधेयक के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । पहली बात यह है कि विधेयक में यह नहीं बताया गया कि यह कब से लागू होगा ।

अध्यादेश ३० अक्तूबर, १९६२ को जारी किया गया था किन्तु यह कहा गया था कि यह २६ अक्तूबर को लाग होगा । क्या इसे इस तरह भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना उचित है ? अगला प्रश्न माता पिता और दादा दादी के बारे में है । निस्संदेह यह आवश्वक है कि उन लोगों को निरुद्ध करने की शक्ति ली जानी चाहिये जिन्हें सुरक्षा के लिये खतरा समझा जाता है। किन्तु क्या दो पीढ़ियां पीछे चला जाना और यह पूछना कि क्या कोई व्यक्ति ४० या ५० वर्ष पूर्व चीनी मां या बाप से पैदा हुआ था, ठीक होगा ।

मैं आशा करता हूं कि सरकार खंड २ के उपबन्धों को सख्ती से लागू करेगी, क्योंकि इस खंड के अन्तर्गत वे व्यक्ति भी आयेंगे जो कि किसी अन्य राष्ट्र या देश के नागरिक होते हुए चीन को सहायता दे रहा हो । अब देखिये चेकोस्लोवाकिया जो कि एक साम्यवादी देश है, चीन को हथियार भेज रहा है । तो क्या प्रत्येक चेकोस्लोक नागरिक, जिस के मां बाप या दादा दादी चेक थे, इस उपबन्ध से प्रभावित होंगे । यदि कल रूस चीन की सहायता ररने लगे तो क्या रूसी राष्ट्रजनों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ? सरकार को निश्चय कर लेना चाहिये कि चाहे वह किसी देश का नागरिक हो, यदि वह देश चीन की सहायता करता है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

एक और स्पष्टीकरण मैं यह चाहता हूं वह यह कि विधेयक में कहीं 'नज़रबन्द' शब्द की परिभाषा नहीं की गई । ३ नवम्बर के आदेश में तो यह व्याख्या दी गई है, किन्तु विधेयक में नहीं । यह परिभाषा अवश्य दी जानी चाहिये ।

यदि कोई व्यक्ति भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं बल्कि किसी अन्य विधि के अन्तर्गत निरुद्ध या गिरफ्तार किया जाता हैं, तो उस के उस गिरफ्तारी आदि के विरुद्ध न्यायलय की सहायता लेने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये । इस आशय का परन्तुक अवश्व विधेयक में होना चाहिये । जब कोई व्यक्ति भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम या विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिकार से वंचित किया जाये, तभी उसके न्यायालय जाने पर रोक लगनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में